भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 688

दिनांक 06 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्युतीकरण का लक्ष्य

688. श्री मन्ना लाल रावत:
श्री दामोदर अग्रवाल:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पूर्ण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है:

(ग) देश भर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विद्युतीकरण के अनुपात का राजस्थान सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है:

(घ) क्या सरकार देश के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है: और

(ड़) सरकार द्वारा देश के सभी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) : भारत सरकार (जीओआई) ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के लिए क्रमशः दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) को लागू किया। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश के सभी बसावट वाले गैर-विद्युतीकृत संगणना गांवों को दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकृत कर दिया गया था। डीडीयूजीजेवाई स्कीम के तहत देश के कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। राजस्थान राज्य सहित विद्युतीकृत गांवों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-I** पर है। ये स्कीम दिनांक 31.03.2022 को बंद हो गई हैं।

तदुपरांत, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) की शुरूआत की गई, जिसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब परिवारों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करना है। सौभाग्य के तहत स्वीकृत सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे कर लिए गए हैं और दिनांक 31.03.2022 को यह स्कीम बंद हो चुकी है। राज्यों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सौभाग्य अवधि के दौरान लगभग 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया।

डीडीयूजीजेवाई/सौभाग्य और आईपीडीएस के तहत किए गए अवसंरचना कार्यों का ब्यौरा **अनुबंध-II** पर है। राजस्थान राज्य सहित विद्युतीकृत घरों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-III** पर है।

(घ) और (ङ) : चूंकि विद्युत एक समवर्ती विषय है, अत: उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति और वितरण संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारी सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत की आपूर्ति करेगा। हालांकि, आयोग कृषि जैसे उपभोक्ताओं की कुछ श्रेणियों के लिए आपूर्ति के कम घंटे विनिर्दिष्ट कर सकता है। भारत सरकार ने राज्यों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने में मदद करने के लिए निम्नलिखित पहल की शुरूआत की हैं:

विद्युत उत्पादन क्षेत्र

वर्ष 2014 से अब तक 2,30,050 मेगावाट उत्पादन क्षमता जोड़ी गई है, जिससे हमारा देश विद्युत की कमी से विद्युत की पर्याप्तता वाला देश बन गया है। वर्तमान में, संस्थापित उत्पादन क्षमता 4,62,065 मेगावाट है।

विद्युत पारेषण क्षेत्र

वर्ष 2014 से अब तक 2,00,168 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) पारेषण लाइनें, 7,66,859 एमवीए ट्रांसफॉरमेशन क्षमता और 82,790 मेगावाट अंतर-क्षेत्रीय क्षमता जोड़ी गई है, जिससे देश के एक कोने से दूसरे कोने तक 1,18,740 मेगावाट विद्युत अंतरण की क्षमता प्राप्त हुई है।

विद्युत वितरण क्षेत्र

भारत सरकार ने वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के उद्देश्य से जुलाई, 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) की शुरूआत की। इस स्कीम के तहत वितरण यूटिलिटी के लिए 2.78 लाख करोड़ रुपये के अवसंरचना कार्यों को मंजूरी दी गई है।

भारत सरकार आरडीएसएस की चल रही स्कीम के तहत सौभाग्य के दौरान छूटे हुए घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों को आगे भी सहायता कर रही है। इसके अलावा, पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान) के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) से संबंधित सभी चिह्नित किए गए घरों और डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के तहत आदिवासी घरों को स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार आरडीएसएस के तहत ऑन-ग्रिड विद्युत कनेक्शन के लिए मंजूरी दी जा रही है। आरडीएसएस के तहत स्वीकृत कार्यों में निम्नलिखित भी शामिल हैं-

i. पीएम-जनमन के तहत चिह्नित किए गए पीवीटीजी घरों और डीए-जेजीयूए के तहत चिह्नित किए गए आदिवासी घरों सहित 9,97,680 घरों के विद्युतीकरण के लिए 4,538 करोड़ रुपये के कार्य संस्वीकृत किए गए हैं। संस्वीकृत कार्यों का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-IV** पर है।
ii. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में दूरदराज के सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्युत वितरण अवसंरचना के विस्तार के लिए 1,067 करोड़ रुपये के कार्य संस्वीकृत किए गए हैं। संस्वीकृत कार्यों का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-V** पर है।

इसके अलावा, नई सौर ऊर्जा स्कीम के तहत, 9,961 घरों के ऑफ-ग्रिड सौर आधारित विद्युतीकरण के लिए 50 करोड़ रुपये के कार्य संस्वीकृत किए गए हैं। (राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-VI** पर है।)

केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सामूहिक प्रयासों से वित्त वर्ष 2024 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आपूर्ति के औसत घंटे क्रमशः 21.9 घंटे और 23.4 घंटे हो गए हैं।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 688

अनुबंध-I

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत गांवों की राज्य-वार संख्या

क्रम सं.	राज्य	डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत विद्युतीकृत गांवों की संख्या
1	अरुणाचल प्रदेश	1483
2	असम	2732
3	बिहार	2906
4	छत्तीसगढ़	1078
5	हिमाचल प्रदेश	28
6	जम्मू एवं कश्मीर	129
7	झारखंड	2583
8	कर्नाटक	39
9	मध्य प्रदेश	422
10	महाराष्ट्र	80
11	मणिपुर	366
12	मेघालय	1051
13	मिजोरम	54
14	नागालैंड	78
15	ओडिशा	3281
16	राजस्थान	427
17	त्रिपुरा	26
18	उत्तर प्रदेश	1498
19	उत्तराखंड	91
20	पश्चिम बंगाल	22
	कुल	**18,374**

लो.स.अतारां.प्र.सं. 688

अनुबंध-II

डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य के अंतर्गत निष्पादित कार्यों का विवरण:

परियोजना की कुल समापन लागत: 1,26,233 करोड़ रुपये।

क) 1933 नए 33/11 केवी सबस्टेशनों की संस्थापना।
ख) 2356 33/11 केवी सबस्टेशनों का विस्तार।
ग) लगभग 8 लाख सीकेएम एचटी और एलटी लाइनें बिछाना।
घ) 6,36,309 वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीआर) की स्थापना।
ङ) 1,90,41,387 उपभोक्ता मीटर/डीटी मीटर/फीडर मीटर की स्थापना।
च) 1.139 लाख सीकेएम 11 केवी फीडर पृथक्करण लाइनें बिछाना।

आईपीडीएस के अंतर्गत निष्पादित कार्यों का विवरण:

कुल समापन लागत: 28,886 करोड़ रुपये।

क) 994 नए 33/11 केवी सबस्टेशनों की संस्थापना।
ख) 1609 33/11 केवी सबस्टेशनों का विस्तार।
ग) 33,884 सीकेएम एचटी और एलटी लाइनें बिछाना।
घ) 59,993 वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीआर) की संस्थापना।
ङ) 89,67,566 उपभोक्ता मीटर/स्मार्ट मीटर/प्रीपेड मीटर/डीटी मीटर/फीडर मीटर/बाउंड्री मीटर की संस्थापना।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 688

अनुबंध-III

सौभाग्य योजना के शुभारंभ के बाद से विद्युतीकृत घरों की संख्या, जिसमें डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत अतिरिक्त घरों की उपलब्धि भी शामिल है

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विद्युतीकृत घरों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश*	1,81,930
2	अरुणाचल प्रदेश	47,089
3	असम	23,26,656
4	बिहार	32,59,041
5	छत्तीसगढ़	7,92,368
6	गुजरात*	41,317
7	हरियाणा	54,681
8	हिमाचल प्रदेश	12,891
9	जम्मू एवं कश्मीर	3,77,045
10	झारखंड	17,30,708
11	कर्नाटक	3,83,798
12	लद्दाख	10,456
13	मध्य प्रदेश	19,84,264
14	महाराष्ट्र	15,17,922
15	मणिपुर	1,08,115
16	मेघालय	2,00,240
17	मिजोरम	27,970
18	नागालैंड	1,39,516
19	ओडिशा	24,52,444
20	पुदुच्चेरी*	912
21	पंजाब	3,477
22	राजस्थान	21,27,728
23	सिक्किम	14,900
24	तमिलनाडु*	2,170
25	तेलंगाना	5,15,084
26	त्रिपुरा	1,39,090
27	उत्तर प्रदेश	91,80,571
28	उत्तराखंड	2,48,751
29	पश्चिम बंगाल	7,32,290
	कुल	**2,86,13,424**

*** सौभाग्य योजना के अंतर्गत गैर-वित्तपोषित**

लो.स.अतारां.प्र.सं. 688

अनुबंध-IV

आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत घरों का विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्य	संस्वीकृत परिव्यय (करोड़ रूपये)	संस्वीकृत जीबीएस (करोड़ रूपये)	कुल संस्वीकृत घर
क.	**संस्वीकृत अतिरिक्त घर**			
1	राजस्थान	459.18	275.51	1,90,959
2	मेघालय	435.70	392.13	50,501
3	मिजोरम	79.90	71.91	15,167
4	नागालैंड	69.55	62.59	10,004
5	उत्तर प्रदेश	931.04	558.62	2,51,487
6	आंध्र प्रदेश	49.24	29.55	15,475
7	झारखंड	7.47	4.48	872
8	जम्मू एवं कश्मीर	77.10	69.39	10,730
9	बिहार	300.26	180.16	42,584
10	असम	785.55	706.99	1,27,111
11	अरुणाचल प्रदेश	47.11	42.40	6,506
12	मणिपुर	214.44	193.00	36,972
13	छत्तीसगढ़	316.51	189.90	63,161
	कुल (क)	**3,773.04**	**2,776.64**	**8,21,529**
ख.	**वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के तहत**			
1	हिमाचल प्रदेश*	6.08	5.47	-
2	अरुणाचल प्रदेश	20.18	18.16	1,683
3	उत्तराखंड	13.08	11.77	1,154
	कुल (ख)	**39.34**	**35.41**	**2,837**
ग.	**प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत**			
ग1	**आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृत**			
1	आंध्र प्रदेश	88.71	53.23	25,054
2	बिहार	0.28	0.17	51
3	छत्तीसगढ़	38.17	22.90	7,077
4	झारखंड	74.13	44.47	12,442
5	मध्य प्रदेश	143.39	86.02	29,290
6	महाराष्ट्र	26.61	15.96	8,556
7	राजस्थान	40.34	24.20	17,633
8	कर्नाटक	3.77	2.26	1,615
9	केरल	0.86	0.52	345
10	तमिलनाडु	29.89	17.94	10,673

11	तेलंगाना	6.79	4.07	3,884
12	त्रिपुरा	61.52	55.37	11,664
13	उत्तराखंड	0.60	0.54	669
14	उत्तर प्रदेश	1.10	0.66	316
	उप-योग (ग1)	**516.15**	**328.31**	**1,29,269**
घ.	**धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के तहत**			
घ1	**संस्वीकृत घर**			
1	छत्तीसगढ़	11.98	7.19	2,550
2	महाराष्ट्र	2.07	1.24	480
3	त्रिपुरा	40.69	36.62	7,677
4	कर्नाटक	30.53	18.32	3,682
5	अरुणाचल प्रदेश	8.20	7.38	1,938
6	तेलंगाना	110.73	66.44	26,525
	उप-योग (घ1)	**204.20**	**137.19**	**42,852**
घ2	**संस्वीकृत सार्वजनिक स्थान**			
1	त्रिपुरा	2.31	2.08	512
2	अरुणाचल प्रदेश	0.04	0.03	9
3	तेलंगाना	2.90	1.74	672
	उप-योग (घ2)	**5.25**	**3.86**	**1,193**
	कुल (घ=घ1+घ2)	**209.45**	**141.05**	**44,045**
	कुल योग (क+ख+ग+घ)	**4,537.99**	**3,281.39**	**9,97,680**

लो.स.अतारां.प्र.सं. 688

अनुबंध-V

आरडीएसएस के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में वितरण अवसंरचना कार्यों को मंज़ूरी दी गई

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्वीकृत लागत (करोड़ रूपये)	संस्वीकृत जीबीएस (करोड़ रूपये)
1	अरुणाचल प्रदेश	157.18	141.45
2	हिमाचल प्रदेश	362.18	325.97
3	लद्दाख	178.43	160.58
4	सिक्किम	134.12	120.7
5	उत्तराखंड	235.56	212
	कुल	**1067.47**	**960.7**

लो.स.अतारां.प्र.सं. 688

अनुबंध-VI

नई सौर ऊर्जा स्कीम के अंतर्गत ऑफ-ग्रिड सौर आधारित संस्वीकृत घरों का विद्युतीकरण

क्रम सं.	राज्य	कुल संस्वीकृत घर
1.	आंध्र प्रदेश	1,675
2.	छत्तीसगढ़	1,578
3.	झारखंड	2,342
4.	मध्य प्रदेश	2,060.
5.	कर्नाटक	179
6.	केरल	98
7.	तेलंगाना	326
8.	त्रिपुरा	1,703
	कुल	**9,961**

****